उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-07/2022/एस-2-।/130565/दस-2022-3887/2021
लखनऊ :: दिनॉक:: 08 जनवरी 2022
<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के, कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित, अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहाँ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	
1	श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, डिजाइन एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ ।	रिक्त पद पर
2	श्री सतीश कुमार चौहान, सहायक लेखाधिकारी, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ (स्थानान्तरणाधीन वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर)	वित्त एवं लेखाधिकारी, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ।	श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह के स्थानान्तरण से रिक्त पद पर।

2- श्री सतीश कुमार चौहान की ग्रेड पे 4800 से 5400 में पदोन्नति/तैनाती संबंधी कार्यालय आदेश संख्या-09/2021/एस-2-82/दस-2021-33(78)/2017, दिनॉक 15-01-2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

3- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी, तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सजीवन
उप सचिव।

<u>संख्या-07/2022-एस-2-।/130565 (1)/दस-2022,तददिनॉक</u>
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम/ गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, कारागार एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अध्यक्ष/निदेशक, उ0प्र0 डिजाइन एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीरजापुर।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- मुख्य, कोषाधिकारी, (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन) लखनऊ/बिजनौर।
9- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर।
10- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार ।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।